

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 392/2011/जयपुर

मैसर्स राजेश मोटर्स (राज.) प्रा.लि.,
ए-1, ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग,
विशेष वृत-राजस्थान, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा,
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री रामकरण,
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 06.09.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 21.12.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, विशेष-वृत राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 24 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 24.11.2009 के जरिये सृजित राशि रूपये 11,61,524/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को उक्त अपील में विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में स्थायी संपत्ति प्लांट एवं मशीनरी, ऑफिस फर्नीचर एवं इलेक्ट्रिक इक्वूपमेंट्स को किया गया है जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 12.5 प्रतिशत की दर से कर रूपये 8,81,636/- आरोपित किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थायी संपत्ति कम्प्यूटर, प्रिंटर, साईकिल, ट्रांसफार्मर्स एवं जनरेटर सैट का विक्रय किया जाता है, जिस पर कर निर्धारण अधिकारी ने 4 प्रतिशत की दर से कर रूपये 47,584/- एवं ब्याज रूपये 2,32,304/- आरोपित किया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी

लगातार.....2

2/12

2/12

व्यवहारी द्वारा एक अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अविधिक बताया और कथन किया कि व्यवहारी द्वारा व्यवसाय में लाभ न होने के कारण व्यवसाय को बंद कर दिया था तथा अपीलार्थी द्वारा ऑफिस सामान सहित दूसरे पंजीकृत व्यवसायी को स्थानान्तरित कर दिया था। अतः व्यवसाय बन्द होने के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो कर आरोपित किया गया है वह अविधिक होने के कारण अपास्तनीय है। अधिनियम के अन्तर्गत दी गई "बिजनेस" की परिभाषा की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये कथन किया कि जो बिक्री की गई है उस पर करारोपण नहीं किया जा सकता। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा अपने उक्त तर्कों के समर्थन में माननीय जोधपुर उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 6 टैक्स अपडेट 11 वा.क.अ., गंगानगर व अन्य बनाम मैसर्स सादुलशहर सहकारी समिति व अन्य निर्णय दिनांक 23.04.2003 का हवाला दिया गया। उक्त तर्कों के आलोक में प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।


5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि व्यवहारी का कर निर्धारण वैट अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है एवं व्यवहारी द्वारा व्यवसाय बंद करने के पश्चात की गयी बिक्री पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर व ब्याज राशि उचित है। अतः उन्होंने प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।


6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, प्रस्तुत रिकार्ड तथा न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी ने मारुती कार व स्पेयर पार्ट्स समस्त सामान सहित ऑफिस विक्रय किया है जिस पर कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश दिनांक 24.11.2009 द्वारा राशि रु0 27,11,680/- का कर आरोपित किया जिसमें संशोधन आदेश दिनांक 25.01.2010 द्वारा रु0 8,99,531/- की कमी की गई। अपीलार्थी ने स्थाई सम्पति प्लांट व मशीनरी फर्नीचर एवं फिक्सचर, ऑफिस व इलेक्ट्रिक क्यूपमेनस पर 12.5 प्रतिशत की दर से आरोपित कर राशि रुपये

8,81,636/- कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर्स, साईकिल, ट्रांसफार्मर्स एवं जनरेटर सैट पर 4 प्रतिशत की दर से आरोपित कर राशि रुपये 47,554/- कुल राशि रु 9,29,220/- को अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दी है। अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा व्यवसाय बंद कर देने पर किये गये विक्रय को अधिनियम की धारा 2 के अनुसार विक्रय की श्रेणी में मानते हुये कर निर्धारण अधिकारी का आदेश यथावत रखा है। अपीलार्थी ने माननीय कर बोर्ड के समक्ष इस आधार पर अपील प्रस्तुत की है कि Fixed Assets पर कर आरोपित नहीं किया जा सकता। कर निर्धारण आदेश का अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश के बिन्दु संख्या 3.4 में स्थाई संपत्ति प्लांट-मशीनरी, फर्नीचर एवं मिक्सचर आदि तथा बिन्दु 3.5 में स्थाई संपत्ति ट्रांसफार्मर्स-जनरेटर सैट आदि पर कर आरोपित किया है। कर निर्धारण अधिकारी ने इस बिन्दु पर कोई विवेचना व विश्लेषण नहीं किया है कि इस स्थाई सम्पत्ति में से कौनसा सामान भूमि से स्थाई रूप से फिटिंग होने के कारण भूमि से जुड़ा हुआ (Embedded to earth or permanently fastened) है एवं कौनसा सामान भूमि से जुड़ा हुआ नहीं है तथा इसमें से कौनसा सामान अधिनियम के अन्तर्गत Movable Goods की श्रेणी में माना जाकर करारोपण किया जाना चाहिए। अपीलीय अधिकारी ने भी इस बिन्दु पर कोई विवेचना नहीं की है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत वा.क.अ., श्रीगंगानगर बनाम मै० सादुलशहर क्रय विक्रय सहकारी समिति व अन्य में यह अवधारित किया है कि जो सामान जमीन से जुड़ा हुआ होने के कारण अचल सम्पत्ति की श्रेणी में हो उस पर वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर आरोपित नहीं किया जाना चाहिये तथा जो सामान चल सम्पत्ति के रूप में हो उस पर ही टैक्स आरोपित किया जाना चाहिये। कर बोर्ड के समक्ष सामान की पूर्व सूची व सामान की प्रकृति उपलब्ध नहीं है, जिससे इस बिन्दु का निर्धारण इस स्तर पर नहीं किया जा सकता। इस बिन्दु पर परीक्षण कर तदनुसार कर निर्धारण हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलार्थी आशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को उपरोक्तानुसार की गई विवेचना को ध्यान में रखकर उभयपक्ष को सुनकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। व्यवहारी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.10.2017 को उपस्थित हो।

निर्णय सुनाया गया।


(नत्थूराम)
सदस्य



(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष